महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पी. सरदार सिंह

P. SARDAR SINGH

वित्त अधिकारी

FINANCE OFFICER

फोन : 07152 232994

ई-मेल : fo.mgahv@gmail.com

क्र. 002/14(1)/Imprest/2016-17/119

दिनांक : 15.07.2022

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त अधिकतर अग्रदाय (Imprest) बिलों में पानी, स्टेशनरी, छायाप्रति एवं जलपान के बिलों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतर विभागों हेतु वाटर कूलर एवं छायाप्रति मशीन उपलब्ध करायी गई है तथा सामग्री क्रय हेतु केंद्रीकृत भंडार एवं क्रय की व्यवस्था की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रति माह प्राप्त आवर्ती अनुदान को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार अग्रदाय राशि से किए जा रहे उक्त व्यय को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही सभी विभाग प्रमुख/प्रभारी/केंद्र निदेशक/संकायाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि अपने विभाग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये वाटर कूलर के पानी को उपयोग में लायें, भंडार एवं क्रय विभाग से स्टेशनरी प्राप्त करें तथा विश्वाविद्यालय में उपलब्ध छायाप्रति मशीन से छायाप्रतियाँ करायी जाएं।

यदि किसी विषम परिस्थिति में पानी या छायाप्रतियों की अलग से आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात् वित्त विभाग में बिल प्रस्तुत किया जाए। स्टेशनरी की आवश्यकता होने पर भंडार एवं क्रय विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (Non availability certificate) प्राप्त कर क्रय किया जाए।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से जारी एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(पी. सरदार सिंह)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु)
4. सहायक कुलसचिव (भंडार एवं क्रय)
5. सभी विभाग प्रमुख/प्रभारी/केंद्र निदेशक/संकायाध्यक्ष (विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से)